कृपया यह फ़ॉर्म अपने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस को वापस भेजिये। उनका पता आपको यहाँ मिल सकता है
www.aboutmyvote.co.uk
Please return this form to your electoral registration office. You can get the address at
www.aboutmyvote.co.uk

कृपया यहाँ एक टिकट लगाइये
Please stick a stamp here

वोट यानी मत देने के लिये मैं रजिस्टर यानी पंजीकरण कैसे करूँ?

1. इस पत्रक से जुड़े फ़ॉर्म को भरिये।
2. सुनिश्चित कीजिये कि आप फ़ॉर्म के सभी भागों को पूरा करते हैं और 'डेक्लरेशन' यानी 'घोषणा' वाले हिस्से पर हस्ताक्षर करते हैं।
3. इस फ़ॉर्म को अपने लोकल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस को वापस भेजिये। संपर्क के विवरण के लिये इंटरनेट पर यहाँ देखिये **www.aboutmyvote.co.uk**

अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कराइये, नहीं तो हो सकता कि अगले चुनाव में वोट देने के लिये आपके लिये बहुत देर हो जाये।

वोट देने के लिये कौन-कौन रजिस्टर कर सकते हैं?

- कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक है (पर आप अपने 18-वें जन्म दिन के पहले अपना वोट नहीं डाल सकते हैं)
- ब्रिटिश नागरिक या क्वॉलिफ़ायिंग कॉमनवैल्थ सिटिज़ंज़। इसका मतलब है कॉमनवैल्थ के ऐसे नागरिक जिनको यू के में प्रवेश करने या रहने की छूट मिली हुई है या जिनको ऐसी छूट प्राप्त करने की ज़रूरत ही नहीं है।
- रिपब्लिक ऑफ़ आयरलैंड या यूरोपियन यूनिअन (ईयू) के दूसरे किसी सदस्य देश के नागरिक।

मैं किन चुनावों में वोट दे सकता / सकती हूँ?

सभी चुनावों में ब्रिटिश नागरिक, आयरिश नागरिक और क्वॉलिफ़ायिंग कॉमनवैल्थ सिटिज़ंज़ (इसमें साइप्रस और माल्टा से आये लोग भी शामिल हैं) अपना मत दे सकते हैं।

यूके में रहने वाले ईयू के दूसरे सदस्य देश के नागरिक भी, लोकल सरकारी चुनावों में वोट दे सकते हैं पर यूके पार्लामेंटरी यानी संसद के चुनावों में वोट नहीं दे सकते। स्कॉटलैंड या वेल्ज़ में रहने वाले लोग स्कॉटिश पार्लामेंटरी या नैशनल असैम्ब्ली फ़ॉर वेल्ज़ के चुनावों में भी वोट दे सकते हैं।

अगर आप ईयू के नागरिक हैं और यूरोपियन पार्लामेंटरी चुनावों में वोट देना चाहते हैं, तो आपको एक अलग फ़ॉर्म भरना होगा। फ़ॉर्म माँगने के लिये अपने लोकल एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस से संपर्क कीजिये।

How do I register to vote?

1. Fill in the form attached to this leaflet.
2. Make sure you complete all sections of the form and sign the 'declaration'.
3. Return the form to your local electoral registration office. For contact details, visit **www.aboutmyvote.co.uk**

Register as soon as you can, or it may be too late to vote in the next election.

Who can register to vote?

- anyone 16 or over (but you cannot vote until your 18th birthday)
- British or qualifying Commonwealth citizens. This means Commonwealth citizens who have leave to enter or remain in the UK or do not require such leave.
- citizens of the Republic of Ireland or other European Union (EU) member states

Which elections can I vote in?

British citizens, Irish citizens and qualifying Commonwealth citizens (including those from Cyprus and Malta) can vote at all elections.

Citizens of other EU member states resident in the UK can vote in local government elections but cannot vote in UK Parliamentary elections. Those resident in Scotland or Wales may also vote in Scottish Parliamentary or National Assembly for Wales elections.

If you are an EU citizen and want to vote in European Parliamentary elections, you must fill in a separate form. Contact your local electoral registration office to ask for one.

The Electoral Commission

अधिक जानकारी

अगर आपको और फ़ॉर्म चाहिये या वोट देने के लिये रजिस्टर करने के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो यहाँ जाइये **www.aboutmyvote.co.uk** या अपने एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस से संपर्क कीजिये।

इंग्लैंड और वेल्ज़ में एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस, आपकी लोकल काउंसिल में स्थित है। हो सकता है कि स्कॉटलैंड में इसका एक अलग ऑफ़िस हो।

संपर्क के विवरण के लिये कृपया यहाँ जाइये **www.aboutmyvote.co.uk**

यह पत्रक नॉर्दन आयरलैंड पर लागू नहीं है। अधिक जानकारी के लिये यहाँ जाइये **www.eoni.org.uk**

दूसरे प्रारूप

यह जानकारी निम्नलिखित प्रारूपों में पाने के लिये यहाँ देखिये **www.aboutmyvote.co.uk** :

- सुनने के लिए ऑडियो फ़ाइल के रूप में
- बड़े अक्षरों वाली छपाई में
- विभिन्न भाषाओं में से किसी एक में

इस पत्रक को ब्रेल के अतिरिक्त दूसरे प्रारूपों में पाने के बारे में अधिक जानकारी के लिये अपने एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस से संपर्क कीजिये।

More information

If you need more forms or have any questions about registering to vote, go to **www.aboutmyvote.co.uk** or contact your electoral registration office.

In England and Wales, the electoral registration office is based at your local council. In Scotland, it may be a separate office.

For contact details, go to **www.aboutmyvote.co.uk**

This leaflet does not apply in Northern Ireland. Visit **www.eoni.org.uk** for more information.

Other formats

Please visit **www.aboutmyvote.co.uk** if you need this information:

- as an audio file
- in large print
- in one of a number of other languages

For more information including to get this leaflet in Braille please contact your electoral registration office.

EC1.5H HINDI

© The Electoral Commission 2010

The Electoral Commission

वोट देने के लिये रजिस्टर कीजिये

Register to vote

एक एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म इसके अंदर है

An electoral registration form is inside

एलेक्टोरल रजिस्टर क्या होता है?

एलेक्टोरल रजिस्टर वोट करने के लिये पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड हर व्यक्ति की एक सूची होती है। चुनावों में वोट दे सकने के लिये आपका नाम रजिस्टर में दर्ज होना ज़रूरी है। काउंसिल टैक्स देने पर भी, आपका नाम खुद बखुद रजिस्टर नहीं होता है।

आप किसी भी समय पर वोट देने के लिये रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने अपना नाम रजिस्टर नहीं किया है, अगर आप अपने रहने वाली जगह से कहीं और चले गये हैं या आपका नाम बदल गया है, तो संलग्न फ़ॉर्म भरिये।

रजिस्टर के दो प्रारूप हैं – **संपूर्ण** और **संपादित** प्रारूप। आपके विवरण रजिस्टर के संपूर्ण प्रारूप में दर्शाये जायेंगे, पर आप इसका चुनाव कर सकते हैं कि आपके विवरण संपादित प्रारूप में दर्शाये जाने चाहिये या नहीं।

रजिस्टर का संपूर्ण प्रारूप चुनावों में, अपराध की रोकथाम और उसका पता लगाने में और क्रेडिट यानी ऋण के आवेदनों की छानबीन करने में इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्टर का संपादित प्रारूप सामान्य तरीके से बेचा जा सकता है और मार्केटिंग जैसे व्यापारिक कार्यों के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है।

What is the electoral register?

The electoral register is the list of everyone who is registered to vote. You must be on the register to vote at elections. You are not automatically registered, even if you pay Council Tax.

You can register to vote at any time. If you're not registered, if you've moved or if your name has changed, fill in the attached form.

There are two versions of the register – the **full** version and the **edited** version. Your details will appear on the full version of the register, but you can choose whether or not your details appear on the edited register.

The full register is used for elections, preventing and detecting crime, and checking applications for credit. The edited register is available for general sale and can be used for commercial activities such as marketing.

यहाँ फाड़िये
tear here

एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म Electoral registration form

केवल एक ही व्यक्ति इस फ़ॉर्म का प्रयोग करके रजिस्टर करने के लिये आवेदन दे सकता है। कृपया काली सियाही का प्रयोग कीजिये और **बड़े अक्षरों** में लिखिये। **हर भाग को भरने और फ़ॉर्म पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद, उसे अपने एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस को भेज दीजिये।** उसके पते के विवरण के लिये यहाँ जाकर देखिये **www.aboutmyvote.co.uk**

Only one person can apply to register using this form. Please write in black ink and use **BLOCK LETTERS**. When you have completed **every** section and signed the form yourself, send it to your electoral registration office. For address details, go to **www.aboutmyvote.co.uk**

1 आपके विवरण About you

कुलनाम / Surname

प्रथम नाम (पूरा) / First names (in full)

उपाधि / Title

राष्ट्रीयता (अगर उचित हो तो ड्युएल यानी दोहरी राष्ट्रीयता भी)
Nationality (include dual nationality if appropriate)

अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो कृपया अपनी जन्म तिथि लिखिये।
If you are under 18 years old, please give your date of birth.

तारीख तारीख महीना महीना वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

अगर आपकी उम्र 70 वर्ष या इससे अधिक है, तो यहाँ सही का निशान लगाइये (यह बात स्काटलैंड में लागू नहीं है)
Tick here if you are 70 years old or over (does not apply in Scotland). ☐

2 आपके वर्तमान निवास का पता Address (where you are currently resident)

आप केवल अपने वर्तमान घर के लिये अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपका दूसरा कोई घर नहीं है, तो आप अपने टैंपोरेरी यानी अस्थाई घर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं (जैसे कि विधार्थी)। अपने निवास के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं, तो कृपया अपने एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर से संपर्क कीजिये।

You can only apply for registration at your current home. You can apply at your temporary home if you currently have no other home. There are some exceptions (e.g. students). If you have any questions regarding your residency, please contact your Electoral Registration Officer.

पोस्टकोड / Postcode

संपादित रजिस्टर, जो सामान्य तरीके से बेचा जा सकता है, में अपना नाम शामिल न करने के लिये, यहाँ सही का निशान लगाइये।
Tick here if you **do not** want your name to be included on the **edited** register, which is available for general sale. ☐

दिन के समय का टेलिफ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर (इसे देना अनिवार्य नहीं है)
Daytime telephone or mobile number (optional)

3 अन्य जानकारी Other information

वह पता जहाँ आप वोट देने के लिये पहले रजिस्टर्ड थे।
Address where you were previously registered to vote

पोस्टकोड / Postcode

पहले की आपकी लोकल काउंसिल (आप अगर उसका नाम जानते हैं)
Previous local council (if known)

रजिस्टर में आपके पिछले वाले पते से आपका नाम हटा दिया जायेगा। अगर आपको लगता है कि आपका नाम उस पते पर लिखा रहना चाहिये, तो कृपया उसका कारण नीचे लिखिये। .

Your name will be taken off the register for your previous address.
If you think you should remain on the register at that address, please state the reason below.

वोट करने के बारे में डाक से जानकारी पाने के लिये सही का निशान यहाँ लगाइये।
Tick here to receive information on voting by post. ☐

प्रॉक्सी (आपकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा वोट डलवाने) के बारे में जानकारी पाने के लिये सही का निशान यहाँ लगाइये।
Tick here to receive information on voting by proxy (someone else voting for you). ☐

4 घोषणा Declaration

जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस फ़ॉर्म के विवरण सच्चे और सही हैं। मुझे मालूम है कि इस फ़ॉर्म में झूठी जानकारी देना जुर्म है, जिसके लिये जेल और /या जुर्माना हो सकता है।

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं ब्रिटिश, आयरिश, यूरोपियन यूनिअन या क्वॉलिफ़ायिंग कॉमनवैल्थ सिटिज़न हूँ।

क्वॉलिफ़ायिंग कॉमनवैल्थ सिटिज़न वो हैं जिनको यू के में प्रवेश करने या वहाँ रहने की छूट मिली हुई है या जिनको ऐसी छूट प्राप्त करने की ज़रूरत ही नहीं है।

As far as I know, the details on this form are true and accurate.
I understand that to provide false information on this form is an offence, punishable on conviction by imprisonment and/or a fine.

I confirm that I am a British, Irish, European Union or qualifying Commonwealth citizen.

Qualifying Commonwealth citizens are those who have leave to enter or remain in the UK or do not require such leave.

हस्ताक्षर / Signature

तारीख / Date

तारीख तारीख महीना महीना वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

यहाँ गीला कीजिये / moisten here

यहाँ गीला कीजिये / moisten here

यहाँ गीला कीजिये / moisten here